उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
नवाड़खेड़ा, गौलापार (नैनीताल)

उत्तराखण्ड राज्य

05946–299615,05946–299616,05946–299617
Mail Id: highereducation.director@gmail.com

पत्रांकः डिग्री विविध/ 7025 /2024–25 — दिनॉकः 29 मार्च, 2025

<u>अति महत्वपूर्ण</u>

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड राज्य ।

विषयः राजकीय विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 315 /XXIV-C-1 /2025-12 (10) /2024 दिनांक 27 मार्च, 2025 **(प्रतिलिपि संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कक्षाओं में छात्र की अनिवार्य उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

तद्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्त्।

भवदीय,

(डॉ0 अन्जु अग्रवाल)
निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, नैनीताल।

पृ0 सं0: डिग्री विविध / 7025-26/2024–25 — **दिनॉकः उक्तवत।**

प्रतिलिपि–सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनके उक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(डॉ0 अन्जु अग्रवाल)
निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, नैनीताल।

संख्याः–315 / XXIV-C-1/2025–12(10) / 2024

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल/
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा/
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी/
दून विश्वविद्यालय, देहरादून/
हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय,
श्रीनगर।

(2) निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 27 मार्च,2025

विषयः–राजकीय विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि राज्याधीन विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में निरन्तर ह्रास हो रहा है, जो कि चिन्तनीय है व उत्कृष्ट शैक्षिक परिवेश व गुणवता का परिचायक नहीं है।

2. आप विज्ञ ही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2003 के नियम 5.8 में निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की गयी हैः–

> The minimum number of lectures, tutorials, seminars and practicals which a student shall be required to attend for eligibility to appear at the examination shall be prescribed by the university, which ordinarily shall not be less than 75% of the total number of lectures, tutorials, seminars, practicals, and any other prescribed requirements.

3. उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करेंः–

(1) चालू सेमेस्टर की परीक्षा हेतु 01 अप्रैल, 2025 से परीक्षा तक तथा आगामी शैक्षणिक सत्र 2025–26 से उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(2) जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये। इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षण संस्थानों व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित की जाये।

(3) उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित छात्रों हेतु समुचित अवस्थापना सुविधायें

यथा–कक्षा–कक्ष, फर्नीचर, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
(4) प्रत्येक शिक्षक के पास अपनी कक्षाओं हेतु पृथक से उपस्थिति पंजिका रखना अनिवार्य होगा तथा प्रतिदिन उपस्थिति को समर्थ पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
(5) प्रत्येक शिक्षक को अपने मोबाईल में GPS कैमरा एप डाउनलोड कर अपने Lectures का छात्रों को फ्रेम में लेकर फोटोग्राफ लेना होगा तथा कम्प्यूटर में फोल्डर बनाकर अनिवार्य रूप से रखना होगा।
(6) उच्च शिक्षण संस्थानों में समस्त प्राध्यापकों द्वारा अपने मोबाईल से लिये गये GPS Tagged सैल्फी/फोटो को प्रतिदिन समर्थ पोर्टल के क्लास रूम मॉड्यूल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाये। उक्त मॉड्यूल में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निवारण हेतु डॉ0 शैलेन्द्र सिंह, नोडल अधिकारी, समर्थ पोर्टल, देहरादून से सम्पर्क स्थापित किया जाये।

भवदीय,

Signed by
Ranjit Kumar Sinha
Date: 27-03-2025 18:26:15

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

<u>संख्या–315(1)/XXIV-C-1/2025–12(10)/2024 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
(1) निजी सचिव–सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) वरिष्ठ निजी सचिव–मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
(3) कुलसचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
(4) प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
(5) अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालयों को अपने स्तर से ई–मेल करने का कष्ट करें।
(6) डॉ0 शैलेन्द्र कुमार सिंह, नोडल अधिकारी, समर्थ पोर्टल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समर्थ पोर्टल पर छात्रों की उपस्थिति का प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुये तद्सम्बन्धी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।
गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।